(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1960 की धारा 137 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत एस० आर० ओ० 260/65 जो दिनांक 22 जून, 1965 के केरल राज पत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास कर्मचारी नियम, 1962, में कुछ संशोधन किये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4624/65]**

दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के लिए दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन और उसके लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4625/65]**

केरल विद्युत् (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 69 के अधीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : (1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24, मार्च 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विद्युत् (संभरण) अधिनियम 1948 की धारा 69 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :–

(एक) वर्ष 1961–62 के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4626/65]**

(दो) वर्ष 1962–63 के लिए केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के वार्षिक लेखों पर परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4627/65]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल विद्युत (संभरण) अधिनियम, 1948 की धारा 75 (आई ए) के अन्तर्गत वर्ष 1961–62 के लिए केरल राज्य विद्युत् बोर्ड के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4628/65]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1965

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1965, की एक प्रति जो दिनांक 14 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1959 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4629/65]**

मंत्री-परिषद् मे अविश्वास का प्रस्ताव–जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : प्रत्येक सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पेश करना कोई अच्छी बात नहीं है और विशेष कर वर्तमान स्थिति

[श्री लाल बहादूर शास्त्री]

में यह पेश नहीं किया जाना चाहिये था। मैं श्री मसानी का आभारी हूं कि उन्होंने कुछ अच्छी बातें कहीं। हमारी नीतियों पर मुख्य प्रहार यह किया जाता है कि हमारी योजना बहुत बड़ी है और यह हमारे लिये बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न करेगी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश का आर्थिक विकास करना बहुत जरूरी था और इसलिये इसी पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। यह जरूरी समझा गया कि देश का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाये। इसलिये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं।

हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक है। बहुत समय तक पराधीन रहने के कारण हम प्रत्येक दिशा में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिये हमें उस पिछड़ेपन को दूर करना है और यही कारण हैं कि योजनाएं काफी बड़ी बनानी पड़ती है। इसके बावजूद भी हमने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उनके पूरा होने पर भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ती नहीं होती है। हमें पिछली योजना में की गई प्रगति को आगे बनाए रखने के लिये बड़ी योजना बनाने के लिये बाध्य होना पड़ता है। अन्यथा हमारा विकास रुक जायेगा और देश में गरीबी बनी रहेगी।

देश को बड़ी बड़ी योजनाओं की आवश्यकता है। यहां तक कि देश के उद्योगपति भी यही चाहते हैं कि योजना और भी अधिक बड़ी हो। वे चाहते हैं कि उन्हे बाहर से सहायता मिलती रहनी चाहिये। परन्तु सरकार यही चाहती है कि हमें बाहर से सहायता न लेनी पड़े। मैं यह नहीं कहता कि हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं है परन्तु हमारा उद्देश्य यह है कि हम बाहर से कम से कम सहायता प्राप्त करें। योजना आयोग में इससे भी बड़ी योजना का सुझाव दिया गया था। परन्तु हमें अपने संसाधनों को भी ध्यान में रखना है और इसलिये 21,500 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकार किया गया।

हमें अपनी संसाधन स्थिति का लगातार ध्यान रखना होगा। नए साधनों को जुटाने की कोशिश की जायेगी। हमें आशा है कि हम योजना के लिये साधन जुटा सकेंगे। नए कर लगाये जा सकते हैं। साथ साथ यह भी देखा जायेगा कि कोई कर इतना न बढ़ाया जाये कि उसे बढ़ाने से सरकार को कोई अतिरिक्त राशि ही प्राप्त न हो। क्योंकि हम धन तथा संसाधनों के प्रवाह को बनाए रखना चाहते हैं।

जहां तक योजना के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने का प्रश्न है, स्थिति अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इस दिशा में भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

एक समाजवादी देश में सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रका अधिक से अधिक विस्तार किया जाना जरूरी है। कुछ सार्वजनिक कारखानों को छोड़ कर अन्य कारखाने बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। यदि हम इन कारखानों को मुनाफे पर नहीं चला सकेंगे तो अवश्य ही इस मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा। परन्तु मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ वर्षों में ये कारखाने निजी कारखानों से भी अच्छी प्रगति करके दिखा सकेंगे। इनके प्रबन्ध में काफी सुधार किया गया है और आगे भी सुधार किया जा रहा है। निजी उद्योगों में भी अपना योगदान देना है। सरकार उनकी यथासंभव सहायता करेगी ताकि वे निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

मैं अपने देश की अन्य देशों से तुलना नहीं करना चाहता। परन्तु यह प्रचार किया जा रहा है कि पाकिस्तान अधिक गति से प्रगति कर रहा है। इसके विपरीत पाकिस्तान में काफी समय तक प्रगति की गति बहुत धीमी रही है। केवल 1959–60 से ही वहां

प्रगति की गति तेज हुई है। यह पांच प्रतिशत से अधिक है। 1964–65 में भारत में प्रगति की दर हाल ही में प्रकाशित किये गये अनुमानों के अनुसार 7.33 प्रतिशत थी। परन्तु इस बात को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि वहां अमीरों तथा गरीबों के बीच अन्तर बहुत अधिक है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे यहां असमानताएं पूर्णतया समाप्त हो गई हैं। यहां पर भी असमानताएं हैं। एक वर्ग विशेष ने बहुत अधिक लाभ उठाया है हालांकि हमारा प्रयत्न बहुमुखी विकास करने का रहा है। कुछ वर्गों का शोषण हुआ है परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बहुत अधिक संख्या में देशवासियों को योजनाओं तथा कार्यक्रमों से लाभ पहुंचा है यह भी, बात है कि हमारी जनसंख्या तथा हमारे देश के आकार की तुलना में पाकिस्तान को बाहर से हमारे से दुगुणी सहायता प्राप्त हुई है। इस सहायता से ज्यादा विकास हो सकता है।

देश में खाद्य स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है। पिछले डेढ़ महीनों में हमें बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। वर्षा न होने के कारण किसानों तथा व्यापारियों के मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था और इस सन्देह में अनाज रोक लिया गया था। परिणामतः देश के कुछ भागों में अनाज की कमी महसूस की जा रही है। परन्तु अब वर्षा होने से कुछ राहत मिली है। बड़े किसानों तथा थोक व्यापारियों ने अनाज रोक रखा है और राज्य सरकारों को उसे निकालने के लिये आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें बाहर से पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलने की आशा है। हम उन क्षेत्रों की सहायता करने की कोशिश करेंगे जो कठिनाई में हैं। ये तो तात्कालिक उपाय है।

खाद्य समस्या का स्थायी हल अधिक उत्पादन करना है। इस उद्देश्य से चौथी योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। चौथी योजना में कृषि के लिये जो धन रखा गया है वह तीसरी योजना की तुलना में दुगुणा है। हालांकि जहां तक प्रतिशतता का प्रश्न है यह तीसरी योजना की तुलना में अधिक नहीं है। यदि उन सारी मदों को शामिल कर लिया जाये जिनसे कृषि को सीधा लाभ पहुंचेगा तो चौथी योजना में इसके लिये काफी बड़ी रकम रखी गई है। यदि यह सारा रुपया खर्च हो जायेगा और कृषि के लिये अधिक राशि की आवश्यकता महसूस होगी तो वह उपलब्ध कराया जायगा क्योंकि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। यदि योजना में कोई कटौती करनी होगी तो वह कृषि क्षेत्र में नहीं की जायेगी।

देश के आर्थिक विकास के लिये योजनाएं बनाने की भी आलोचना की गई हैं। भारत जैसे बड़े देश का आर्थिक विकास योजनाओं के बिना संभव नहीं है। यहां तक कि ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देशों में भी आयोजन एजेंसियां हैं। इस सब आयोजन के लिये योजना आयोग को दोषी ठहराया गया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योजना आयोग पूर्णतया सरकार की नीतियों का पालन करता है। यह सरकार पर ऊपर से कोई चीज नहीं थोप सकता। विचार-विमर्श का सिलसिला बना रहता है और अधिकतर मामलों में हम आपस में सहमत होते हैं। विश्व बैंक भी उसी देश को सहायता अथवा ऋण देता है जिसने विकास संबंधी योजनाएँ बनाई हुई है। इसलिये आयोजन को एक बुराई कहना कतई ठीक नहीं है।

जहां तक योजना के लिये संसाधन उपलब्ध करने का प्रश्न है हमें अपने आपपर ही ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना है। इसलिये करों आदि के रूप में अधिक से अधिक राशि प्राप्त करनी होगी। परन्तु इन करों से जनसाधारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा। चौथी योजना में घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई जायेगी। हमें अधिक भार सहन करके भी मुद्रास्फीति को रोकना होगा ताकि कीमतें कुछ सीमा से आगे न बढ़ सकें।

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

कुछ व्यक्तियों के मन में यह सन्देह है कि इन करों अथवा आयात प्रतिबन्धों से उत्पादन पर असर पड़ेगा। यह कुछ हद तक ठीक है। परन्तु इस पर निश्चय ही विचार करना होगा कि क्या उपाय किये जायें ताकि उत्पादन वृद्धि पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। किसी भी विनियमित अर्थव्यवस्था में कुछ नियन्त्रण और विनियमन आवश्यक होते है। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इस बारे में समय समय पर विचार करते रहना चाहिये कि क्या कुछ कंट्रोल हटाए जा सकते है अथवा नहीं। हाल ही में कुछ विशेष किस्म के इस्पात तथा कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा दिया गया है। सिद्धान्त रूप में यह भी फैसला कर लिया गया है कि सरकार की आवश्यकता को छोड़ कर सीमेंट पर से भी नियंत्रण हटा दिया जायेगा।

श्री दांडेकर ने ऐसी तस्वीर पेश की है जैसे कि देश में कोई प्रगति ही नहीं हुई है और देश तबाही की ओर जा रहा है। इसके विपरीत तथ्य यह है कि 14 वर्षों में जबसे देश में योजना बद्ध विकास कार्य शुरू हुआ है, देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी राष्ट्रीय आय लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गई है। प्रतिव्यक्ति आय 27 प्रतिशत बढ़ी है। खाद्यान्न का उत्पादन 54 प्रतिशत बढ़ चुका है जब कि समूचा कृषि उत्पादन लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है। जहां तक औद्योगिक उत्पादन का संबंध है, विभिन्न प्रकार के सामान का उत्पादन होने लगा है और उसमें 145 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन भी पहली योजना की तुलना में पांच गुणा हो गया है। 1950 में मुश्किल से ही कच्चा तेल पैदा अथवा साफ किया जाता था परन्तु 1964 में 22 लाख टन कच्चा तेल पैदा किया गया और 90 लाख टन तेल साफ किया गया। इस्पात के उत्पादन की भी ऐसी ही स्थिति है। सिंचाई सुविधाओं के मामले में भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करने के पश्चात् अब तक जो प्रगति हुई है उतनी पहले के पचास वर्षों में भी नहीं हुई थी। चौथी योजना अवधि के अन्त में बहुत थोड़ी भूमि ही ऐसी रह जायेगी जिनके लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकेगी। सिंचाई के मामले में हमारी प्रगति बहुत ही सराहनीय रही है। समाज सेवाओं तथा परिवहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर हमारी प्रगति कुछ कम सराहनीय नहीं रही है।

इससे मेरा अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ संतोषजनक है। अभी हमें बहुत प्रगति करनी है। हमें अधिक जटिल समस्याओं को हल करना है। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि हमारे कार्यक्रमों तथा नीतिओं को उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं कहा जाता है। इसलिये इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालांकि इस मामले की जांच के लिये बहुत से अध्ययन दल काम करते रहे हैं परन्तु इन छुटपुट प्रयासों से हम स्थिति का सामना नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि इस मामले पर जिसके अन्तर्गत समूचा प्रशासन आ जाता है विचार करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। ऐसे आयोग की सिफारिशें प्रशासन में सुधार आदि करने की दिशा में काफी सहायक सिद्ध होगी। मुझे आशा है कि यह प्रस्ताव सभी को स्वीकार्य होगा।

मैं अन्य मामलों पर अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा इस सभा तथा जनता से निवेदन है कि हम इस समय काश्मीर में पाकिस्तान के साथ भयंकर संघर्ष में जुटे हुए हैं, इसलिये हमें एक होकर इस संकट का सामना करना चाहिये और कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिये जिससे शत्रु के हाथ मजबूत हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चाहिये कि वे प्रधान मंत्री को शांतिपूर्वक सुनें और उन्हें अन्तर्बाधाएं नहीं करनी चाहिये।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, Sir.

Mr. Speaker : Kindly sit down.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The Prime Minister should not say that we do not realise the gravity of the situation. He should explain the policies pursued by his Government

Shri Bagri : Why does he not explain the policy?

Mr. Speaker : The Prime Minister should be allowed to proceed.

Shri Madhu Limaye : He is charging us that we are not realising the gravity of the situation. We should be allowed an opportunity.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इसे पुनः दोहराता हूं क्योंकि,.....

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : He is not correct. Had he realised the gravity of the situation, he would have explained the policy Government is going to pursue in this connection. What for he wants our cooperation? What atmosphere is being created in the country?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे संयुक्त समाजवादी दल से सहयोग की आशा नहीं है। (अन्तर्बाधाएं)

Mr. Speaker : If the hon. Members would go on interrupting like this I would be compelled to take some action.

श्री हनुमंतैया (बंगलौर नगर) : अवश्य ही कार्यवाही की जानी चाहिये।

Shri Ram Sewak Yadav : The Prime Minister who does not want cooperation from the Samyukta Socialist Party is a traitor.....

Shri Radhelal Vyas (Ujjain) : Mr. Speaker, it has become a daily feature. My submission is.....

Shri Bagri : The Government which does not want cooperation from the Samyukta Socialist Party is not working in the interests of the country.

Mr. Speaker : If the hon. Member cannot listen patiently, he should walk out from here. There ought to be some limit.

श्री लाल बहादुर शास्त्री : किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले। सभायें, विरोध, प्रदर्शन और जलूस इत्यादि साधनों द्वारा विरोध करने पर हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि हिंसा की कार्यवाहियाँ हुई तो सरकार के लिए सहन करना कठिन होगा। काश्मीर के बारे में मैंने अपनी नीति स्पष्ट कर ही दी है। कुछ एक चौकियों को ले लेने से ही हमें प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए। हमें इस संकट का मुकाबला करने के लिए देश को तैयार करना है। इस समय सब से बड़ी आवश्यकता एकता की है। हमें पूरी आशा है कि हम इस अग्नि परीक्षा में से सफल होकर निकलेंगे। हम उन लोगों का सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो हमारे विरोधी हैं। इस विरोधी दल के प्रस्ताव के बारे में मेरा निवेदन है कि यह सरकार और हमारा दल ही देश के कल्याण के लिए जरूरी है।